राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नांगलिया गुर्जरवास

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 90/2020

ओमप्रकाश पुत्र श्री चेतराम जाति जाट आयु 67 वर्ष निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... आवेदक

ब–ना–म

1. उर्मिला पुत्री दयानन्द पत्नी स्व. राजेन्द्र आयु 45 वर्ष
2. सुनिल पुत्री दयानन्द पत्नी देशराजआयु 30 वर्ष जाति जाट निवासी गादूवास तहसील मण्डावर जिला अलवर, राज0
3. भरपाई पत्नी स्व. दयानन्द आयु 60 वर्ष
4. करण सिंह आयु 40 वर्ष
5. विजेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष पुत्रान दयानन्द जाति जाट निवासी नापला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
6. शीशराम आयु 69 वर्ष पुत्र पालाराम
7. हवासिंह आयु 66 वर्ष पुत्र पालाराम
8. मदन सिंह आयु 55 वर्ष पुत्र पालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. बनवारी पुत्र स्व. पालाराम पत्नी मोहन सिंह आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी मक्सूसपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
10. संतोषी पुत्री पालाराम पत्नी बलवंत आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
11. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

निर्णय **दिनांक 26–10–2021**

यह आवेदन पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम मेहाड़ा गुर्जरवास तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 313 खसरा नंबर 133 रकबा 0.99 है., ख.नं. 1408/99 रकबा 0.27 है., ख.नं. 1451/97 रकबा 0.56 है., ख.नं. 1480/78 रकबा 0.25 [illegible] 79 रकबा 0.01 है., ख. नं. 80 रकबा 1.26 है., ख.नं. 81 रकबा 0.50 है., ख.नं. [illegible] रकबा [illegible].41 है., ख.नं. 97 रकबा 0.31 है., ख.नं. 98 रकबा 0.32 है. कुल किता 10 कुल [illegible] है जिसमें आवेदक का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है शेष हिस्सा अनावेदकगण का दर्ज है। आवेदक [illegible] भूमि खसरा नंबर 82, 83 के दक्षिणी और सटती हुई भूमि ख[illegible] 79 रकबा 0.01 है. [illegible] जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकारअनावेदक संख्या 6 लगायत 10 का हिस्सा बराबर–2 अर्थात् प्रत्येक का 1/10 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आवेदक की भूमि के दक्षिणी ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:24:55 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अनावेदक संख्या 6 लगायत 10 की सामलाती खातेदारी की भूमि में से रास्ता कदीम से मौजूद है इसी कदीम रास्ते से आवेदक अपने खेत व मकानात तक करीब 50 वर्षों से निर्बाध रूप से आता जाता रहा है तथा इसी रास्ते का उपयोग अनावेदक संख्या 6 लगायत 10 भी अपने खेत व खेत में निर्मित पुख्ता मकानात तक आने जाने में करते रहे हैं और आवेदक व अनावेदक संख्या 6 लगायत 10 के परिचित, मित्रगण, नातेदार, रिश्तेदार व अन्य व्यक्तियों का आवागमन भी इसी कदीमी रास्ते से होता रहा है जो शांतिपूर्ण व निर्बाधित रूप से रहा है। आवेदक की भूमि के दक्षिणी ओर अनावेदक संख्या 6 लगायत 10 की सामलाती खातेदारी की भूमि के पश्चात् उक्त कदीमी रास्ता खसरा नंबर 80 रकबा 1.26 है. मे होकर गुजरता है उक्त खसरा नंबर 80 की भूमि आवेदक की खातेदारी की भूमि है तथा उसके पश्चात् उक्त रास्ता खसरा नंबर 62 में से गुजरता है जो राजस्व रिकार्ड में भी कटा हुआ है इसके पश्चात् आम रास्ता है। आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 133, 82 में पुख्ता मकानात के लिए आवेदक की भूमि खसरा नंबर 82 व 83 के दक्षिणी ओर सटती हुई भूमि खसरा नंबर 79 जो अनावेदक सं. 6 लगायत10 की सामलाती भूमि है में से 12 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक को जिस रास्ते की आवश्यकता है वह रास्ता नक्शा ट्रेस नजरी में खसरा नंबर 79 में से होता हुआ आवेदक के खेत खसरा नंबर 80 में आना दर्शाया गया है इसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटान का रास्ता है जो खसरा नंबर 62 में से है। इस रास्ते के अलावा आवेदक के खेत खसरा नंबर 133, 82 व पुख्ता मकानात तक आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है। आवेदक उक्त आवेदन पत्र के जरिये राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने को तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मेहाड़ा गुर्जरवास स्थित आवेदक की भूमि खसरा नंबर 133 की पूर्वी ओर तथा खसरा नंबर 82 व 83 के दक्षिणी ओर अनावेदक संख्या 6 लगायत 10 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 79 वाके ग्राम मेहाड़ा गुर्जरवास में स्थित नजरी नक्शे में मार्क ई से एफ, क्यू से ई, सी से क्यू वर्णितानुसार 12 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन के लिए दिलवाया जाकर उक्त 12 फीट चौड़ाई में रास्ता आम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा में तरमीम किया जाकर उक्त रकबा के लिए धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर खातेदारान को दिलवाये जाने की कृपा करें। आवेदक विधिक प्रावधान की पालना करने को तत्पर है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदकगण सं. 1 लगायत 5 ने इकबाली जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक सं. 6 से 8 ने जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदक ने खसरा नंबर 79 को अनावेाकद सं. 6 लगायत 10 की की मात्र है तथा खसरा नंबर 82, 83, 80, 133 अपनी स्वयं की मानी है जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 132, 133, 79, 80, 81, 82 संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें आवेदक का 1/4 व अनावेदक सं. 6 लगायत 10 का प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। आवेदक ने खसरा नंबर 83 अपनी खातेदारी होना दर्ज किया है जबकि खसरा नंबर 83 के खातेदार काश्तकार आवेदक नहीं है। आवेदक ने रास्ता 12 फुट चौड़ाई में खसरा नंबर 79 में से चाहा है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा [illegible] रकबा 0.01 है. दर्ज है जिसमें कुआ, खेल व लेट्रीन बाथरूम बना हुआ है। आवेदक ने खसरा नंबर 62 को कटान का रास्ता दर्शित किया है जबकि मौके पर [illegible] रकबा 0.04 है. गै.मु. नाला अंकित है जिमसें से किसी भी सुरत में रास्ता दिया जाना असम्भव है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:24:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनावेदक सं. 9, 10 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक: राजस्व/2021/1762 दिनांक 16.09.2021 से बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है :-

1. आवेदक ग्राम मेहाड़ा गुजरवास में मकान बनाकर निवास कर रहा है। प्रस्तावित रास्ता वादी स्वयं को अपनी खातेदारी भूमि तक एवं निवास स्थन पर आने जाने के आवश्यक है तथा आवेदक की खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है।
2. खसरा नंबर 79 व 80 आवेदक एवं अनावेदक दोनों की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वर्तमान में अनावेदकगण का कब्जा काश्त है।
3. प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 1797/73 में 56 मीटर तथा खसरा नंबर 80 में से 228 मीटर है कुल भूमि 1136 वर्गमीटर। इससे कम दूरी का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 1136 वर्गमीटर जिसकी डी. एल.सी. दर 132435 रूपये है।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प नांगलिया गुर्जरवास में पेश हुई। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व पटवारी हल्का नांगलिया गुर्जरवास का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2073-2076 खाता सं. 313 खसरा नंबर 133, 1408/99, 1451/97, 1480/78, 79, 80, 81, 82, 97, 96 कुल किता 10 कुल रकबा 4.88 है. भूमि में आवेदक ओमप्रकाश पुत्र चेतराम हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा नंबर 133, 82, 83 व 79 में आवागमन के लिए भूमि ख.नं. 80 में से रास्ता चाहा गया है उक्त भूमि ख.नं. 80 भी संयुक्त खातेदारी एवं अविभाजित है। संयुक्त खातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत् खाता विभाजन नहीं हो जाता है तब तक कानूनन उस भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा भूमि ख.नं. 62 गै.मु. नाला है उक्त खसरा आम रास्ते से पहले पड़ता है जो प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। अविभाजित भूमि में आने जाने के लिए बिना प्रतिकर चुकाये, भूमि का आपसी विनिमय कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के तहत रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवेदक का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है।

आदेश

अतः आवेदक का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नांगलिया गुर्जरवास में दिनांक 26-10-2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:24:55 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner